21/4/25

पत्रावली आज वकील मामलात के आवेदन पर, लिया की गई। वकील मामलात ने डायरेक्ट खाता को खारिज करने का आवेदन 0 23 R 1 CPC पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। गैरसायलान की कोई आपत्ति नहीं हुई है अतः आदेश 23 R 1 CPC के तहत मामलात किया जाकर खारिज किया जाता है। दिनांक 11.7.24 को जारी [illegible] अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश भी खारिज है। पत्रावली [illegible] बाद [illegible] फाइलिंग दाखिल हो।

चिह्नीकृत
21/4/25

Signature Not Verified

Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2025.08.16 14:22:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी